छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

//आदेश//

क्रमांक/233/विद्यो0/2018 रायपुर, दिनांक :-30/06/2018

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के आदेश क्रमांक 68/विद्यो0/2016 ,रायपुर दिनांक 27.04.2016 में मण्डल की कृपांक नीति जारी की गई, जो निम्नानुसार है :-

1. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम कृपांक 20 अंक होंगें।
2. किसी भी विषय में अधिकतम 10 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकेंगें।

   जैसे – 100 अंकों के प्रश्न पत्र में अधिकतम 10 अंक
   75 अंकों के प्रश्न पत्र में अधिकतम 8 अंक
   25 अंक के प्रायोगिक प्रश्न पत्र में अधिकतम 2 अंक
   कृपांक रूप में दिये जायेंगें।
3. इसी अनुक्रम में व्यावसायिक हाईस्कूल पाठ्यक्रम के लिए उसके अधिभार के अंक का 10 प्रतिशत कृपांक दिया जायेगा।

   जैसे – 30 प्रतिशत अधिभार के लिए 3 अंक
   70 प्रतिशत अधिभार के लिए 7 अंक
4. कृपांक का लाभ अधिकतम तीन विषयों में दिया जावेगा। तीन से अधिक अनुत्तीर्ण विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक का लाभ नहीं दिया जावेगा।
5. उक्त नीति हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी व्यावसायिक ,डी.एल.एड. सभी परीक्षाओं के लिये यथावत् रहेगी।

29/6/18

(प्रोफेसर व्ही.के.गोयल)
सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर